न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 01/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/14

अनवान

1. तलका पुत्र दानाराम ।
2. डुंगरा पुत्र दानाराम ।
3. विभा पुत्र दानाराम।
4. हिमता पुत्र दानाराम जातियान भील निवासीगण गोलासन तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण.....

1. गोदाराम पुत्र जीवाराम जाति भील, निवासी भादरूणा, तहसील सांचौर।
2. शारदा पत्नि हंजारी जाति भील, निवासी गोलासन, तहसील सांचौर।
3. आसूराम पुत्र करनाराम ।
4. दरगो पत्नि वजीराम ।
5. प्यारी पत्नि बाबूराम ।
6. नाबालिंग वींजाराम पुत्र बाबूराम संरक्षक माता प्यारी पत्नि बाबूराम।
7. नाबालिंग वीसाराम पुत्र बाबूराम संरक्षक माता प्यारी पत्नि बाबूराम।
8. परसाराम पुत्र चतराराम ।
9. बाबरीदेवी पत्नि स्व. चतराराम।
10. रुगनाथ पुत्र अजा ।
11. राणाराम पुत्र वजीराम ।
12. सुखीदेवी पत्नि करनाराम ।
13. हीराराम पुत्र करनाराम जातियान भील, निवासीगण गोलासन, तहसील सांचौर।
14. शाखा प्रबन्धक SBI शाखा पथमेड़ा, तहसील सांचौर।
15. शाखा प्रबन्धक SBI शाखा गुड़ामालानी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बालोतरा।
16. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण.....

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 14.01.2025

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 15 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

–: निर्णय :–

दिनांकः–06.02.2026

1. प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम गोलासन, पटवार हल्का गोलासन, तहसील सांचौर के निवासी हैं। इनके खातेदारी खेत खसरा नम्बर 474 रकबा 1.09 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा नम्बर 472 रकबा 1.01 हैक्टर बारानी दोयम, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.88 हैक्टेयर चाही प्रथम जाव प्रथम राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 3 से 13 के नाम दर्ज हैं, किन्तु भाई–बंटवारे अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है, इसलिए अप्रार्थीगण 3 से 13 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। उक्त खेतों में आवागमन हेतु कोई दर्जशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा पारस्परिक सहमति से समाधान संभव नहीं हो पाया है। प्रार्थीगण को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए निकटतम मार्ग खसरा संख्या 475 रकबा 5.50 हैक्टेयर में से ही संभव है, जो खेतों के बीच स्थित है और वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम दर्ज है। अतः धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार खसरा संख्या 475 में से नक्शा परिशिष्ट अनुसार 5 मीटर चौड़ा मार्ग, जो निकटतम एवं उपयुक्त है, रास्ता प्रयोजनार्थ घोषित कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 15 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम गोलासन, पटवार हल्का गोलासन, तहसील सांचौर के निवासी हैं। इनके खातेदारी खेत खसरा नं. 474 (1.09 हे.), 472 (1.01 हे.) व 473 (0.88 हे.) राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 3 से 13 के नाम दर्ज हैं, परन्तु भाई–बंटवारे अनुसार भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है, इसलिए अप्रार्थीगण 3 से 13 औपचारिक पक्षकार बनाए गए हैं। उक्त खेतों तक पहुंचने हेतु कोई दर्जशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है। निकटतम मार्ग खसरा नं. 475 (5.50 हे.), जो अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम दर्ज है, में से ही संभव है। अतः धारा 251ए के तहत खसरा नं. 475 में से नक्शानुसार 5 मीटर चौड़ा मार्ग रास्ता प्रयोजनार्थ घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाए।
5. अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में किसी प्रकार की कोई आप्पति नहीं की गई।
6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

   251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है किः–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवष्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

7. प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 474 रकबा 1.09 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार सांचौर के पत्रांक/भू.अ./न्या.जांच/2026/199 दिनांक 13.01.2026 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट एव भू अभिलेख निरीक्षण गोलासन की मौका फर्द दिनांक 08.01.2026 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा गोलासन के खसरा नम्बर 474 में आवागमन हेतु मांगा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यकता वाला है। उक्त रास्ता निकटतम एवं सुविधाजनक है एवं किसी

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार का कोई पक्का निर्माण एवं इमारती वृक्ष नहीं है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा नं 474 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 475 में से 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 474 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 475 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव भू अभिलेख निरीक्षक गोलासन की जांच रिपोर्ट अनुसार 60 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद गोलासन पटवार हल्का गोलासन के खसरा नंबर 474 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 475 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एव मौका फर्द अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– **आदेश** :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थी से प्राप्त कर खसरा संख्या 475 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर (जालौर)

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर (जालौर)